

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 405/19-2020

अभियुक्ति

दिनांक

आदेश फलक

6.3.2020

वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापाक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0नि0-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि-

मौजा- श्रीश्रीह थाना नं0- 119 खाता संख्या- 10 प्लॉट

संख्या- 1088 रकबा- 52 श्री0 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ

खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी

उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 237 पर

जमाबंदी रैयत संतोष कुमार गोस्वामी पिता परशुराम गोस्वामी के नाम से कायम है।


हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 20.3.2020 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस लामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रियात/जमाबंदी रियात के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज सार्वपित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (प्रारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुसंसा की जाती है। अवैध कार्रवाई हेतु अभिलेख भूल में भूमि सुधार उपसमहर्ता को भेजे।

20/3/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर